APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – खेजडी

चारभुजा जी स्थान अगडपुरा खेडी बनाम श्रीमति गलकू बेवा कानादास बैरागी वगैराह

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 92 ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 261/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट खेजडी पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया साबिक सेटलमेन्ट में श्री चारभुजा जी स्थान अगडपुरा के नाम दर्ज थी, तथा हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर पुनः श्री चारभुजा जी स्थान दर्ज कराने के लिये ग्राम की जनता के द्वारा यह प्रतिनिधित्व सूट पेश किया गया है। वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 अपने खाते के बल पर उक्त आराजी को विक्रय करने पर उतारु है, जिन्हें पाबन्द फरमाया जावें। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की कलम नम्बर– 3 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी 1 से 7 के खाते से हटाई जाकर श्री चारभुजा जी स्थान के नाम दर्ज करवाई जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादीगण को उक्त वाद धारा–88 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश करने का कोई अधिकार नही होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें। मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– पत्रावली पर उपलब्ध महकमें बन्दोबश्त राज्य मेंवाड उदयपुर की जमाबन्दी साल 1984 मौजा खेजडी के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 208, 209, 210 किता 3 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि श्री चारभुजा जी स्थान अगडपुरा के खातेदारी से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। यहॉ वादीगण का कथन है कि साबिक सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

स्थित थी, जिसमें शिकमी काश्तकार की हैसियत से मोहनदास पुत्र रघूनाथ दास वैरागी का नाम दर्ज था, मोहन दास की मृत्यु के बाद उसकी बेवा घीसी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013, 2014–2017 की प्रस्तुत की गई, जिस अनुसार आराजी नम्बर– 209 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर– 210 रकबा 05 बिस्वा आ.चा. घीसी बेवा मोहनदास बैरागी 1/2 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2021 मौजा खेजडी के अनुसार साबिक नम्बर– 209, 210 के नवीन नम्बर– 466, 467 बनाये जाना तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 मौजा खेडी पटवार हल्का खेजडी के अनुसार आराजी नम्बर– 466, 467 गल्कू बेवा काना दास, भैरु दास, श्याम दास, सीता दास पिता काना दास जगदीश, रामधन पिता नन्दादास, जशोदा बेवा नन्दादास बैरागी साकिन देह 1/2, सिवाय चक 1/2, दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सन् 1984 के अनुसार वादग्रस्त भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह के खातेदारी की भूमि रही है एवं मन्दिर मूर्ति को नाबालिक शाश्वत माना गया है और इनके हितो की रक्षा करना न्यायालय व सरकार का दायत्वि है । ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि आराजीयात मुतदाविया मन्दिर देह के पुजारी / सेवा पुजा करनें वाले व्यक्तियों को सुपुर्द नही कर उक्त शासन सचिव / प्रशासनिक सुधार (अनु– 3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 6(17) प्र.सु./अनुं0–3/2002 दिनांक 27.05.2017 द्वारा मन्दिर / पूजा स्थलों की उचित व्यवस्था हेतु गठित समिति को सुपुर्द किया जावें। तद्नुसार दावा वादी डिक्री किया जाकर न्यायालय प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुये मौजा खेडी पटवार हल्का खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 466, 467 किता 2 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को वेदखल किया जाकर भूमि को अराजकीय मन्दिर पूजा स्थल की उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर गठित कमेठी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त कमेठी उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि के प्रवन्ध काश्त की समुचित व्यवस्था करेगा और प्राप्त होने वाली आय व्यय का ब्यौरा संधारित करेगें । प्राप्त होने वाली आय को मन्दिर के प्रवन्ध / सेवा / पूजा धार्मिक आयोजनों आदि पर उचित ढंग से लगाना एवं मन्दिर का समुचित विकास पर व्यय किया जायेगा । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का दखलदांजी न करे न करावें । तद्नुसार डिक्री पर्चो मुर्तिब हो निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रेषित की जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

2/2 2014/00036 खेजड़ी

न्यायालय सहायक

पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाई गई ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner